न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 01/2011

दायर दिनांक: 12.01.2011

निर्णय दिनांक 15.07.2019

—:अनवान:—

1. श्री गणपत सिंह पिता भान सिंह जी रावत उम्र 52 वर्ष
2. श्री कन्हैया लाल पिता श्री भंवरलाल सनाढ्य उम्र 45 वर्ष
3. श्री किशन लाल पिता मांगी लाल तेली उम्र 40 वर्ष

समस्त निवासीयान राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनाम:—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द
2. श्री केशवदास गुरू रामकिशन दास जी साधु खाकी, उम्र वयस्क, निवासी राज्यावास तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री मनोज पिता बसन्त कुमार जैन उम्र 38 वर्ष निवासी मीरानगर कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
4. श्री अनिल पिता स्व. अम्बालाल पालीवाल उम्र 34 वर्ष निवासी जावद तहसील व जिला राजसमन्द
5. श्री मांगीलाल पिता लीलाधर गुर्जर उम्र 47 वर्ष निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2601 स्वीकृत दिनांक 14.09.2010 द्वारा उप तहसीलदार, कुंवारिया

उपस्थित:—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— श्री दिग्विजयसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 तक

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा राजस्व ग्राम राज्यावास, तहसील राजसमन्द के आराजी नं0 2474 से 2478 कुल किता—05 कुल रकबा 04.15 बीघा भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2601 दिनांक 14.09.2010 को चूनौति दी गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्टगण संख्या 02 से 05 उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है

कि राजस्व ग्राम राज्यावास तहसील राजसमन्द में आराजी नं0 2474 से 2478 कुल किता–05 कुल रकबा 04.15 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि में तीन मंदिर बने हुए गौशाला व आश्रम बना हुआ है। सभी ग्रामवासी पुजा अर्चना व दर्शन करते है। तथा उक्त नामान्तरण प्रोबेट प्रमाण के आधार पर स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध है। इस भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द में केशवदास बनाम भंवरलाल वगैराह के अनवान से वाद प्रस्तुत कर रखा है। न्यायालय द्वारा खातेदार घोषित नहीं कर रखा है। बल्कि वाद की कार्यवाही सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वसीयत तक स्थगित कर रखी है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में स्वीकृत किये गये नामान्तरण विधि के विपरित है। उक्त भूमि महन्त रामकिशनदास के नाम दर्ज थी तथा रामकिशनदास का केशवदास चेला नहीं है। और चेले होने का कोई प्रमाण भी मौजूद नहीं है। इस लिए उक्त नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि उक्त भूमि देवस्थान की नहीं है। अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उसके किसी प्रकार का हक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे है। केशवदास ने इस भूमि को आगे बेच दी है। तथा क्रेता ने आदेश 1 नियम 10 में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रकरण मे पक्षकार बने है। प्रोबेट आदेश को अपास्त नहीं करवाया है। माननीय न्यायालय में केवल यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सही रूप से खौला है या नही। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अपील आधारहीन है। इसलिए अपील खारिज फरमायी जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर वसीयत की सूनवाई कर पत्रावली कायम कर पारित किया गया है। इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की सूनवाई की अधिकारिता भी इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश जिला न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा जारी प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पायी जाती है। प्रोबेट प्रमाण पत्र व वसीयत को चेलेन्ज नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपने हक अधिकार की घोषणा का वाद भी प्रस्तुत नहीं किया है। और अपीलार्थी स्वयं आमजन होकर साधुसंत की सम्पति/अधिकारों के संबंध में कोई हित नहीं रखता है। इस कारण अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुवारिया की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द